Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 210–2021/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 16, 2021 (AGRAHAYANA 25, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 16th December, 2021

No. 31-HLA of 2021/87/ 31633.— The Haryana Pond and Waste Water Management Authority (Amendment) Bill, 2021 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 31-HLA of 2021

THE HARYANA POND AND WASTE WATER MANAGEMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Haryana Pond and Waste Water Management Authority Act, 2018.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Pond and Waste Water Management Authority (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 24th November, 2021.

Amendment of section 4 of Haryana Act 33 of 2018.

2. For sub-section (1) of section 4 of the Haryana Pond and Waste Water Management Authority Act, 2018, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) The tenure, salaries, allowances and other conditions of the service of the Executive Vice-Chairperson, Technical Advisor and Member Secretary shall be such, as may be prescribed:

Provided that the Executive Vice-Chairperson, Technical Advisor and Member Secretary shall not hold office beyond the age of sixty-five years:

Provided further that the Government may extend the tenure of Executive Vice-Chairperson, Technical Advisor and Member Secretary upto the age of sixty-eight years by recording reasons for the same.".

Repeal and saving.

3. (1) The Haryana Pond and Waste Water Management Authority (Amendment) Ordinance, 2021 (Haryana Ordinance No. 1 of 2021), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To tackle the alarming condition of underground water and worst condition of ponds in many districts in the State, the planning and physical progress of many ponds is in progress in whole state of Haryana. The Haryana Pond and Waste Water Management Authority is having Executive Vice-Chairperson, Technical Advisor and Member Secretary to run the Authority. Some of the officers are attaining / may attain the age of 65 years, very shortly.

Therefore, in order to avoid un-necessary delay in searching competent persons having technical knowhow of this field can waste crucial time at this stage so it becomes necessary to immediately pass the required Amendment in the Act of "The Haryana Pond and Waste Water Management Authority", 2021, for which Ordinance No. 1 of 2021 has already been passed according to which "In exceptional cases the Government may permit any of these officers to hold the office upto the age of 68 year by recording reasons of the same".

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 16th December, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 31 एच.एल.ए.

हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।

(2) यह 24 नवम्बर, 2021 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2018 के हरियाणा अधिनियम 33 की धारा 4 का संशोधन।

2. हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(1) कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव का कार्यकाल, वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं :

परन्तु कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव पैंसठ वर्ष की आयु के बाद पदधारण नहीं करेंगे :

परन्तु यह और कि सरकार कारणों को लिपिबद्ध करते हुए कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव का कार्यकाल अड़सठ वर्ष की आयु तक बढ़ा सकती है।''।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य के कई जिलों में भूमिगत जल की भयावह स्थिति और तालाबों की सबसे खराब स्थिति से निपटने के लिए पूरे हरियाणा में कई तालाबों की योजना और जीर्णोद्धार/विकास कार्य प्रगति पर है। हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण में प्राधिकरण चलाने के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार और सदस्य सचिव नियुक्त हैं। इनमें से कुछ अधिकारी शीघ्र ही 65 वर्ष के हो रहे हैं/होने जा रहे हैं।

इसलिए, इस क्षेत्र की तकनीकी जानकारी रखने वाले सक्षम व्यक्तियों की खोज में अनावश्यक महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो सकता है, इसलिए "हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण" अधिनियम 2021 में आवश्यक संशोधन को तुरंत पारित करना आवश्यक हो जाता है। जिसके 2021 का अध्यादेश संख्या 1 पहले ही पारित किया जा चुका है, जिसके अनुसार "असाधारण मामलों में सरकार इनमें से किसी भी अधिकारी को 68 वर्ष की आयु तक कारण दर्ज करके पद पर बने रहने की अनुमति दे सकती है।"

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 दिसम्बर, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9419—H.V.S.—H.G.P. Pkl.